फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर.(SDO) भीण्डर, उदयपुर

ी : श्री उंकार बनाम विपक्षी : श्री भेरूलाल व अन्य

म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 58/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 21.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 7 अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 7, 8 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 7, 8 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निरस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निरस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई ताकि प्रकरण में वाद के निरस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा फलाडोर पटवार हल्का वाणियातलाई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 4 की आराजी नम्बर 502, 503 किता 2 रकबा 0.8300 हे. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:25 IST
Reason: SelfAttested